

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)

दायरा दिनांक

02.08.2026

निर्णय दिनांक

09.03.2026

मिसल नम्बर

43/2023

पीठासीन अधिकारी :- चारु (आई.ए.एस.)

-:: उनवान:-

कैलाशबाई पत्नि श्री राम जाति धाकड निवासी मोडक गांव तह0 रामगंजमण्डी जिला कोटा
(वादीनी)

बनाम

1. देउबाई पत्नि श्री रामनारायण जाति धाकड निवासी मोडक गांव तह0 रामगंजमण्डी जिला कोटा
वगैराह (प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


-:: अन्तिम निर्णय ::-

पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकार उपस्थित है। वकील वादी की तहसीलदार चेचट के पत्र
क्रमांक/LR/2025/125 दिनांक 03.02.2026 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई।

अतः गुणागुण के आधार पर दावा वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर वादगत भूमि ग्राम मोडक
पटवार हल्का मोडक तहसील रामगंजमण्डी हाल नवसृजित तहसील चेचट खसरा नम्बर 705 का वादीगण एवं
प्रतिवादीगण के मध्य तहसीलदार चेचट से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार विभाजन किया जाकर
दावा वादी फाईनल डिकरी किया जाता है।

क्र० सं०	खातेदार का नाम मय वल्दियत विवरण सहीत	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
1	कैलाशबाई पत्नि श्रीराम हि. पूर्ण जाति धाकड सा.देह खातेदार	705/1	0.24
		किता-1	0.24
2	देउबाई पत्नि श्री रामनारायण हि. 15/156 जाति धाकड सा.देह खातेदार	705/2	1.17
	ममता पुत्री रामनारायण हि. 47/156 जाति धाकड सा.देह खातेदार	किता-1	0.7250
	ललता पुत्री रामनारायण हि. 47/156 जाति धाकड सा.देह खातेदार		
	संतोष पुत्री रामनारायण हि. 47/156 जाति धाकड सा.देह खातेदार		

तहसीलदार रामगंजमण्डी नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा
प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव इस निर्णय का भाग होगा। तदनुसार अन्तिम डिकरी मुर्तिब हो।
निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 09.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी
रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)

अंतिम डिकरी मुकदमा

आ 20 रूल 6-7 जाबा दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा

-:: उनवान ::-

कैलाशबाई बनाम देउबाई

वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
मिसल नम्बर 43/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रुबरु मुझ चारू (आई.ए.एस.) बहाजिरी श्री घनश्याम धाकड मिनजानिब मुद्दई ब श्री निल मिनजानिब मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि गुणागुण के आधार पर दावा वादीगण आंशिक स्वीकार किया जाकर वादगत भूमि ग्राम मोडक पटवार हल्का मोडक तहसील रामगंजमण्डी हाल नवसृजित तहसील चेचट खसरा नम्बर 705 का वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य तहसीलदार चेचट से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार विभाजन किया जाकर दावा वादी फाईनल डिकरी किया जाता है।

कसं	खातेदार का नाम मय वल्लियत विवरण सहीत	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
1	कैलाशबाई पत्नि श्रीराम हि. पूर्ण जाति धाकड सा.देह खातेदार	705/1	0.24
		किता-1	0.24
2	देउबाई पत्नि श्री रामनारायण हि. 15/156 जाति धाकड सा.देह खातेदार	705/2	1.17
	ममता पुत्री रामनारायण हि. 47/156 जाति धाकड सा.देह खातेदार	किता-1	0.7250
	ललता पुत्री रामनारायण हि. 47/156 जाति धाकड सा.देह खातेदार		
	संतोष पुत्री रामनारायण हि. 47/156 जाति धाकड सा.देह खातेदार		

तहसीलदार रामगंजमण्डी नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करें। तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव इस निर्णय का भाग होगा।

चीज निल मुबालिग निल बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व षरह निल फीसदी निल सालाना आज की तारिख से तारिख वसूलयाबी तक निल को अदा करें।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 09.03.2026 को जारी की गई।

उपखण्ड (आई.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी

रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)

मिलान स्टाँप अर्जी दावा			स्टाँप अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाँप वकालतनामा	0	0	स्टाँप अर्जी	0	0
स्टाँप वजूह सबूत	0	0	स्टाँप अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

उपखण्ड (आई.ए.एस.)

उपखण्ड अधिकारी

रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज.)